

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री विकास रुहिल, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धीरदेसर चोटियान, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धौल जिला उदयपुर एवं श्री ओमाराम रोलां, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पहलवान का बेरा, खाजूवाला जिला बीकानेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धीरदेसर चोटियान, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थानान्तरित किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध श्री विकास रुहिल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 17953/2019 विकास रुहिल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 17953/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.10.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री विकास रुहिल के सम्बन्ध में उनके नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को याचिकार्थी श्री विकास रुहिल के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्री विकास रुहिल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धीरदेसर चोटियान, डूंगरगढ, जिला बीकानेर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगे एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित, श्री ओमाराम रोलां का अन्तरिम समायोजन दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बन्धडा, पांचू जिला बीकानेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्वधीन रहेंगे।

(नथमल डिडेल)



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

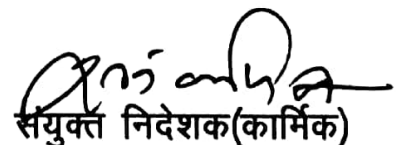
निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/विकास रुहिल/17953/2019 दिनांक: 04.11.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बीकानेर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)